न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 35/2019(2019/000137)

बाबूलाल पुत्र स्व0 श्री गंगाराम जाति गुर्जर निवासी गुर्जरों का मौहल्ला, अंराई रोड, किशनगढ, तहसील किशनगढ जिला– अजमेर .....**अपीलान्ट**

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ जिला अजमेर। ..... **रेस्पोडेन्ट**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री डूंगरसिंह राठौड अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री हेमराज राठौड राजकीय अभिभाषक

आदेश दिनांक :– 26.11.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने ग्राम किशनगढ तहसील अजमेर में स्थित आराजी खसरा नं0 1941 रकबा 03–14–00 बीघा भूमि रेकार्डेड खातेदार अनोप खां वल्द बख्तावर खां कौम मुसलमान से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.08.1998 से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया। इस पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण हेतु अपीलान्ट द्वारा पटवारी हल्का के समक्ष प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण संख्या 390 दिनांक 25.8.1998 भरकर समस्या समाधान शिविर में पेश किया जो शिविर अधिकारी द्वारा "The case is subjudice hence rejected" का अंकन कर खारिज कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश से रूष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। उपस्थित उभय पक्ष की बहस सुनी गई

अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम किशनगढ तहसील किशनगढ में स्थित आराजी खसरा नं0 1941 रकबा 03–14–00 बीघा भूमि अपीलान्ट द्वारा रेकार्डेड खातेदार अनोप खां वल्द बख्तावर खां कौम मुसलमान से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.08.1998 क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया। अपीलान्ट द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर वास्ते नामान्तरकरण पटवारी हल्का के समक्ष प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण संख्या 390 दिनांक 25.8.1998 भरकर समस्या समाधान शिविर में पेश किया जो शिविर अधिकारी द्वारा "The case is subjudice hence rejected" का अंकन कर खारिज कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय का पारित आक्षेपित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विरूद्ध होने से काबिले खारिज है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट की क्रय शुदा प्रश्नगत आराजी बाबत कोई विवाद होने, प्रकरण, आपत्ति प्रार्थना पत्र, वाद आदि लम्बित होने के कोई तथ्य मौजूद नहीं थे। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना आज्ञात्मक (Mandatory), विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है। अपीलान्ट किशनगढ के खसरा नं0 1941 की भूमि पर खरीद दिनांक से काबिज काश्त चला आ रहा है, इस भूमि बाबत किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार का कोई वाद भी लम्बित नहीं है, ना ही किसी सक्षम न्यायालय का पूर्व में, ना ही आज दिनांक तक कोई स्थगन आदेश है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष भी प्रश्नगत आराजी के विवादित होने बाबत धारा 135 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज होकर विचाराधीन नही रहा। इसके बावजूद अधिनस्थ

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

न्यायालय द्वारा बिना अपीलान्ट को सूचित किये एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना, तथा विधिक प्रकिया अपनाये बिना मनमर्जी से, सरसरी तौर पर जिस प्रकार से नामान्तरकरण निरस्त किया है वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से काबिले निरस्तनीय है। अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस जारी रखते हुए आगे मियाद के तकनीकी बिन्दु बाबत निवेदन किया कि अपीलान्ट को उक्त नामान्तरकरण आदेश दिनांक 25.8.1998 के अस्वीकार होने का संज्ञान अभी हाल ही में होने पर नामान्तरकरण की नकल हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 6.8.2019 नकल प्राप्त होने पर अपील जानकारी दिनांक से अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। अपील को मियाद में शुमार किये जाने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी संलग्न प्रस्तुत किया गया है। अभिभाषक अपीलान्ट ने आगे कथन किया कि यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि तकनीकी बिन्दु के आधार पर किसी को सारभूत न्याय निर्णय से वंचित नहीं किया जा सकता। अपील प्रस्तुति में हुई, देरी सद्भाविक है इसलिये अपील के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर विलम्ब क्षमा करावें। प्रकरण में तृतीय पक्ष से कोई वाद विवाद नहीं होने एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के तहत कोई प्रकरण दर्ज नहीं होने से अपील स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार किशनगढ का नामान्तरकरण संख्या 390 पर पारित आदेश दिनांक 15.8.1998 निरस्त फरमाया जाकर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की बहस के जवाब में लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.08.1998 के विरूद्ध अपील हेतु 30 दिवस की मयाद थी लेकिन करीबन 21 वर्षों की लम्बी अवधि गुजरने के बाद अपील प्रस्तुत की गई है जो लम्बी अवधि से मयाद बाहर होने से निरस्त योग्य है। अपीलाधीन नामा. की जानकारी हाल ही में होने के वर्णित तथ्य स्वीकार योग्य नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तत्समय प्रश्नगत आराजी बाबत कोई वाद विचाराधीन होने के तथ्य मौजूद होने के मध्यनजर ही तत्कालीन शिविर अधिकारी द्वारा आक्षेपित नामान्तरकरण खारिज किया गया। अतः अपील, अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने उभय पक्ष के कथनो पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट की अपील नामान्तरकरण संख्या 390 दिनांक 25.08.1988 पर पारित आदेश के विरूद्ध है। जो कि उपरोक्त आदेश दिनांक 25.08.1988 के लगभग 21 वर्ष की अवधि गुजरने पर प्रस्तुत की गई। पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण भरकर पेश करने पर सक्षम शिविर अधिकारी द्वारा समस्त तथ्यों की जाचं के उपरान्त ही समस्या समाधान शिविर (मजमे आम) में आक्षेपित नामान्तरकरण खारिज किया गया है। इन तथ्यों को अपीलान्ट द्वारा भी स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में न तो अपीलान्ट/प्रार्थी का यह कथन स्वीकार किये जाने योग्य है कि उसे सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना आदेश पारित किया गया तथा न ही उनका यह कथन संतुष्टि योग्य है कि उन्हें अपीलाधीन आदेश की जानकारी हाल ही में हुई। चूंकि अपीलान्ट द्वारा इतनी लम्बी अवधि को कन्डोन करने सम्बन्धी कोई ठोस युक्तियुक्त न्यायोचित आधार पेश नहीं किया गया तथा प्रश्नगत भूमि वादग्रस्त नहीं होने बाबत कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य ही पेश किये गये है। लिहाजा अपीलान्ट की अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 26.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner